उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा) गिरिडीह।

अल्पकालिन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कल्याण विभाग द्वारा क्रीडा प्रोत्साहन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्र–छात्राओं को हॉकी स्टीक, बैड मिन्टन रैकेट, टेनिस रैकेट, तीर धनुष, खिलाडियों के लिए ट्रेक सूट, फुटबॉल सेट एवं क्रिकेट सेट हेतु स्थानीय विक्रेता/अधिकृत विक्रेता एवं निर्माताओं से मुहरबन्द लिफाफों में निविदा आमंत्रित किया जाता है, निविदा जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में दिनांक 13-2-17 का 2.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

प्राप्त निविदाओं को उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक 13-2-17 को 3.00 बजे खोला जायेगा, निविदा खुलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें :

9. निविदादाता को जे0एस0टी0 एवं सी0एस0टी0 धारक होना चाहिए।
10. उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को निविदा के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह के पदनाम से 5000.00 (पांच हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत/भारत सरकार के अधीनस्त बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा करना होगा, इसके अतिरिक्त आयकर, बिक्रीकर आदि का स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. केवल निविदा सामग्री के निर्माता/अधिकृत बिक्रेता ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
12. निविदा सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं निविदा की दरों में सभी करों एवं परिवहन व्यय को सम्मिलित करना अपेक्षित है।
13. तकनीकी बिड, वित्तीय बिड एवं भौतिक बिड में देना होगा। वित्तीय बिड में दर अंकित करना है तथा तकनीकी बिड में हर प्रकार का दस्तावेज संलग्न करना होगा एवं भौतिक बिड में नमूना देना होगा
14. प्रत्येक नमूना पर दर अंकित रहेगा। दर सभी टैक्स एंव भाड़ा सहित रहेगा, लिफाफे के उपर सामग्री का दर शब्द अंकित रहेगा।
15. उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति चयनित नमूना एवं गुणवत्ता के अनुसार करना होगा, यदि किसी प्रकार विभेद पाया जाता है तो उसे आपूर्तिकर्त्ता को अपने खर्च पर बदलना होगा।
16. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा नकली एवं खराब सामग्री देने की स्थिति में उनके विरूद्ध बैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
17. निविदा स्वीकृत होने पर आदेश निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी, अन्यथा उनकी निविदा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी, किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। सामानों की आपूर्ति संबंधित विद्यालय में किया जायेगा जिसके लिए परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

24/01/17

उपायुक्त,
गिरिडीह।

उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा) गिरिडीह।
अल्पकालिन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगिभूत योजना /केन्द्र प्रायोजित योजना के अधिन नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन हेतु 20 गेज लोहे का चदरा, 1½" एंगल में 6'X10' साईज का होर्डिंग लिखाई एवं स्थल पर गाड़ने हेतु स्थानीय प्रतिष्ठानों से मुहरबन्द लिफाफों में निविदा आमंत्रित किया जाता है, निविदा जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में दिनांक 15-2-17 को 2:00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

प्राप्त निविदाओं को उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक 15-2-17 को 3:00 बजे खोला जायेगा, निविदा खुलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें :

1. निविदादाता को जे0एस0टी0 एवं सी0एस0टी0 धारक होना चाहिए।
2. उपरोक्त कार्य हेतु निविदादाता को निविदा के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह के पदनाम से 5000.00 (पांच हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत/भारत सरकार के अधीनस्त बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा करना होगा, इसके अतिरिक्त आयकर, बिक्रीकर आदि का स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. होर्डिंग लिखाई एवं गाढने का निविदा की दारों में सभी करों एवं परिवहन व्यय को सम्मिलित करना अपेक्षित है।
4. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग देना होगा। वित्तीय बिड में दर अंकित करना है तथा तकनीकी बिड में हर प्रकार का दस्तावेज संलग्न करना होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा नकली एवं खराब सामग्री देने की स्थिति में उनके विरूद्ध बैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने पर आदेश निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर निविदादाता को होर्डिंग लगानी होगी, अन्यथा उनकी निविदा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी, किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। प्रखण्डों एवं पंचायतों में होर्डिंग लगाने के लिए परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

(हस्ताक्षर) 4/01/17

उपायुक्त,
गिरिडीह।